मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

क्र/म.प्र.म.बो./मदरसा-प्रकोष्ठ/2023/ 231 भोपाल, दिनांक 17/7/23

प्रति,

अति-आवश्यक

मदरसा प्रबंधक,
मध्यप्रदेश।

विषयः- शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी एवं दिशा-निर्देश।

विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर दिनांक **19.07.23 से 31.08.23** तक के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके अंतर्गत बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 28.12.2017 में लिए गए निर्णय के परिपालन में वह मदरसे अपनी मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे जिनकी मान्यता का नवीनीकरण शिक्षा सत्र 2020-21,2021-22 एवं 2022-23 से किन्ही कारणों से लंबित हुआ है जिसके चलते उनकी मान्यता के नवीनीकरण की निरंतरता में गेप/अन्तराल हो गया है। इस श्रेणी में विशेषकर शिक्षा सत्र 2020-21 तक नवीनीकरण प्राप्त मदरसों के लिए यह आवेदन करने का अंतिम अवसर है। आवेदन करने से लेकर मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त करने संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी निम्नानुसार है-

1. मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण में किन्ही कारणों से गेप की अवधि केवल 2 सत्रों तक की मान्य की जा सकेगी यदि तीसरे सत्र में भी मान्यता नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन बोर्ड में प्राप्त नही होता तो ऐसी स्थिति में मदरसा संचालित नही है, माना जाकर कार्यालयीन रिकार्ड से पृथक कर पोर्टल पर लॉक किया जा सकेगा।
2. ऐसे मदरसे यदि पुनः स्थापित होना चाहें तो नवीन मदरसा पंजीयन प्रक्रिया के अंतर्गत नए पंजीयन के साथ स्थापित हो सकेंगे परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की वरिष्ठता प्रदान नही की जा सकेगी।
3. पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मदरसों के संचालन-सत्यापन संबंधी निरीक्षण प्रतिवदेन जिला शिक्ष ा अधिकारी के माध्यम से अनुशंसा सहित मदरसा बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने पर ही मान्यता का नवीनीकरण जारी किया जाएगा।
4. शिक्षा पोर्टल पर मदरसे का यू-डाईस कोड मेप होना अनिवार्य है साथ ही मदरसे में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की SSSMID भी मदरसे से मेप होना अनिवार्य रहेगी।
5. मदरसों द्वारा यू-डाईस पोर्टल से डाउनलोड मदरसे की यू-डाईस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की स्वः प्रमाणित प्रति एवं स्वीकृति (Acknowledgement) की जानकारी मदरसा बोर्ड में एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगा।
6. मदरसे द्वारा समग्र शिक्षा पोर्टल से डाउनलोड यू-डाईस कोड से विद्यार्थियों की मैप्ड SSSMID की कक्षावार सूची मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। इस सूची के आधार पर ही मदरसों में अध्यनरत विद्यार्थियों की जानकारी बोर्ड के रिकार्ड में संधारित की जाएगी एवं समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी।
7. आवेदन करने के पात्र मदरसों की श्रेणी व शुल्क का विवरण इस प्रकार निर्धारित किया गया है-

आवेदन का प्रकार	निधारित शुल्क	जारी मान्यता की अवधि
सामान्य आवेदन (2023-24 से 2025-26 तक) 3 सत्रों के लिए	रु. 3000/-	शिक्षा सत्र 2023 से 2026 तक
गेप अवधि सहित आवेदन (2022-23 से 2025-26 तक)4 सत्रों हेतु	रु. 4000/-	शिक्षा सत्र 2022 से 2026 तक
गेप अवधि सहित आवेदन (2021-22 से 2025-26 तक) 5 सत्रों हेतु	रु. 5000/-	शिक्षा सत्र 2021 से 2026 तक

नोट- इसमें पोर्टल शुल्क एवं कक्षा स्तर वृद्धि शुल्क सम्मिलित नही है।

निरंतर...2 पर।

दूरभाष : परीक्षा कक्ष : 0755-2737362, मदरसा कक्ष: 0755-2735931, स्थापना : 0755-2731437, वेबसाइट: www.mpmb.org.in, ई मेल: mpmadarsaboard@gmail.com

8. मदरसे को ऑनलाईन आवदेन से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करना होंगे–

8.1 मदरसा प्रबंध समिति की जानकारी के अंतर्गत यदि मदरसा रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज़ के अधीन पंजीकृत समिति के द्वारा संचालित है तो उसकी **धारा–27 की नवीनतम अनुमोदित सूची की प्रति** , यदि मदरसा, मदरसा बोर्ड में पंजीकृत समिति के द्वारा सचांलित है तो उसके वैध कार्यकाल के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति अथवा यदि मदरसा बोर्ड में पंजीकृत समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो उसके ऑनलाईन समिति के नवीनीकरण के आवेदन की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगी।

8.2 मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष/सचिव का आधार–कार्ड एवं मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।

8.3 यू–डाईस पुस्तिका की प्रति डाउनलोड कर मदरसा अध्यक्ष/सचिव की सील एवं हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना होगा।

8.4 समग्र शिक्षा पोर्टल पर मेप मदरसे के विद्याथियों की कक्षावार सूची डाउनलोड कर मदरसा अध्यक्ष/सचिव की सील एवं हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करना होगा।

8.5 मदरसा भवन किराये का हो तो वैधानिक/पंजीकृत किराया–नामा, एवं मदरसा भवन निजी होने की स्थिति में बिजली का बिल/अन्य दस्तावेज जो भवन के निजि होने का प्रमाण हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।

8.6 मदरसा भवन पर 5x3 फिट के साईन बोर्ड लगवायें जिसका प्रारूप मदरसों को जारी किए गए मान्यता प्रमाण–पत्र के पीछे अंकित है। अंकित प्रारूप के अनुसार मदरसे का साइन–बोर्ड तैयार करें जिसे निरीक्षणकर्ता द्वारा भी जांचा जाएगा।

8.7 मदरसा शिक्षकों की प्रमाणित सूची एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र और वह किस विषय को पढ़ाते की विस्तृत जानकारी आवेदन के साथ संलग्न करना होगी।

9. अन्य दिशा–निर्देश इस प्रकार है–

9.1 मदरसे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/तबदीली तभी मान्य होगा जब वह निर्णय मदरसा प्रबंध समिति में पारित होगा और बोर्ड को इसकी विधिवत् सूचना उसी दौरान दी गई होगी।

9.2 मदरसे का नवीनीकरण 3 सत्रों के लिए जारी किया जाता है। ऐसे में बोर्ड द्वारा मदरसे की कक्षा स्तर वृद्धि एक साथ जारी की जाती है लेकिन मदरसा प्रति सत्र केवल 1 ही कक्षा की वद्धि कर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा।

9.3 मदरसा मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में अधिसूचित है और बोर्ड इस सेवा से प्राप्त आवेदन पर एक निश्चित अवधि में कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्ध है अतः ऑनलाईन आवेदन पश्चात उसकी हार्ड–कॉपी सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित अविलम्ब मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने का दायित्व मदरसा प्रबंधक का रहेगा।

6.4 मदरसे से संपर्क हेतु मदरसा प्रबंधक अपना ही मोबाईल नम्बर आवेदन में डालें जिससे समय–समय पर मदरसे से संबंधित जानकारी हेतु SMS भेजा जा सके अथवा सपंर्क किया जा सके।

6.5 ऑनलाईन आवेदन पश्चात् दो कवरिंग लेटर मदरसा आवेदक की ओर से पोर्टल पर निर्मित होंगे जिसमें एक पत्र सचिव, मदरसा बोर्ड के नाम से एवं दूसरा पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से उपलब्ध कराया जा रहा है। कियोस्क धारक से आवेदन के कवरिंग पत्र अवश्य प्राप्त करें एवं

निरंतर...3 पर

सम्पूर्ण आवेदन (अनुलग्नकों सहित) दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं दूसरी प्रति सचिव मदरसा बोर्ड हेतु मदरसा बोर्ड कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

अतः उक्तानुसार मदरसे की मान्यता के नवीनीकरण की कार्यवाही करें। आवेदन निर्धारित तिथियों के भीतर करना सुनिश्चित करें।

सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल 11/7/23

पृ.क्र/म.प्र.म.बो./मदरसा-प्रकोष्ठ/2023/ 232 भोपाल, दिनांक 17/7/23

प्रतिलिपिः-

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कार्यक्रम की सूचना का प्रचार-प्रसार अपने जिले के लोक प्रिय समाचार पत्र के माध्यम से करायें एवं जिला मदरसा प्रभारियों के माध्यम से जिले में संचालित समस्त मदरसों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें तथा की गई कार्यवाही से मदरसा बोर्ड को अवगत् करायें।

सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल 11/7/23